घर से निकला पर नहीं पहुंच पाया।

दिल दहलाने वाले इस दोहरे हत्याकांड

बालू के अवैध भंडारण पर लगा 22 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, बस्ती : नियमों को ताक पर रख अवैध बालू भंडारण करने वाले लाइसेंसी पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। 22 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाकर बालू कारोबारियों को सख्त संदेश दे दिया है।

खनन अंबेडकरनगर में, भंडारण यहां शीर्षक से जागरण के पांच जुलाई 17 के अंक में पेज दो पर छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। क्षेत्रीय खनन अधिकारी और खनन निरीक्षक उसी दिन महरीपुर में जांच को पहुंचे तो 13050 घनफुट बालू का भंडारण मिला जबकि 6000 घनफुट भंडारण की ही अनुमति दी गई थी। इस तरह 7050 घन फुट बालू अतिरिक्त भंडारित पाया गया। जांच रिपोर्ट गुरुवार को जिलाधिकारी के पास पहुंची तो बचाव के लिए तमाम दलीलें दी गई। बहरहाल राजस्व की क्षति पहुंचाने के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने 22 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया गया है। किसी बालू कारोबारी के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

महरीपुर में बालू भंडारण का लाइसेंस श्रीमती सिम्मी सिंह पत्नी तेज प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के नाम से दिया गया था। इनका अंबेडकर नगर में बालू खनन का पट्टा है। इसी ग्रुप के एक सदस्य के नाम बस्ती में भी खनन का पट्टा है। खनन कर निकाला जाने वाला बालू महरीपुर में 6 बीघा जमीन पर भंडारित किया जा रहा था। इसको लेकर कईयों ने शिकायत की लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई।

जागरण इंपैक्ट

पांच जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर

कार्रवाई

- जागरण की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान, जांच में सही पाया गया मामला
- बालू भंडारण के लाइसेंस से दोगुना रखा मिला बालू, बचाव की दलील खारिज

बालू की कालाबाजारी करने के लिए ही यहां बालू का अवैध तरीके से भंडारण किया जा रहा था।

जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया जांच में जो पाया गया उसके अनुसार आरोपी पर जुर्माना लगाया गया है।

बालू के अवैध भंडारण पर 22 लाख का जुर्माना

बस्ती (ब्यूरो)। जिले में पहली बार बालू भंडारण के मामले में जुर्माना लगाया गया। डीएम अरविंद कुमार सिंह ने बालू का भंडारण करने वाली सिंपी सिंह पत्नी तेज प्रताप सिंह पर अनियमित रूप से अधिक भंडारण करने पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम ने बताया कि अंबेडकरनगर में बालू का खनन का ठेका पाने वाले सिंपी सिंह को बस्ती के मलौलीपुर गांव सड़क किनारे छह हजार घन मीटर बालू का भंडारण करने का परमिट दिया गया था। बताया कि जब इसकी जांच क्षेत्रीय खनन अधिकारी और खनन निरीक्षक से कराई गई तो मौके पर 13 हजार घन मीटर से अधिक बालू का भंडारण करते पाया गया। इस तरह सात हजार घन मीटर बालू का अधिक भंडारण करते मिला।